न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰
प्रकरण संख्या 77 / 2023 (उदयपुर डिक्री)

1. शंकरलाल पिता भजा जी गुर्जर, निवासी वारणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. प्रेमी पुत्री भजा जी गुर्जर, निवासी वारणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्रीमती चन्दा देवी पत्नी किशनलाल गायरी, निवासी सोडावास (थामला), हाल सिंहाड़, उबा गणेश जी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. मथुरालाल पिता भजा जी गुर्जर, निवासी वारणी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, मावली
दिनांक 13.07.2023 प्र. सं. 187 / 22

———/———

उपस्थित :– 1– श्री मनीष शर्मा अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री नरेन्द्रसिंह चौधरी अभिभाषक रे. सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 24–01–2025**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वारणी में वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी के खाता संख्या 139 नया 152 पुराना की आराजी नंबर 339, 346, 347, 348, 366 कुल किता 5 रकबा 2.1206 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात में वादी का 3 / 14 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1 / 28 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1 / 4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 का 1 / 4 हिस्सा तथा धापूबाई पत्नी भजा का 1 / 4 हिस्सा राजस्व अभिलेखों में दर्ज है, धापूबाई की मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हैं। वादीया ने वादग्रस्त जमीन मथुरालाल से क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 मथुरालाल ने अपने हिस्से में से 6 / 28 वां हिस्सा वादिया को विक्रय पत्र दिनांक 15–09–2020 से विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया है, जिसका एक अनुबंध पत्र दिनांक 13–04–2022 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

निष्पादित किया गया है, जिसमें विक्रित भूमि के पड़ोस अंकित हैं। प्रतिवादीगण बिना विभाजन के विक्रय हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं तथा पाली डोली को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। अतः विवादित आराजियात का पक्षकार के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर वाद पत्र की कलम संख्या 4 वर्णित पड़ोस की भूमि का कब्जे एवं हिस्से अनुसार वादिया को स्वतंत्र अधिपत्य दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26–06–2023 को प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की तत्पश्चात प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर दिनांक 13–07–2023 को अंतिम डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 12–10–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र सिंह चौधरी उपस्थित हुए। अपीलान्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण सीधे साधे ग्रामीण काश्तकार होकर उन्हें विभाजन नियमों की जानकारी नहीं है, जिससे वह मौके पर उपस्थित होकर विधि सम्मत बंटवारा नहीं करा सके तथा उनके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही हो जाने से उन्हें उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं थी। जानकारी होते ही अपील समयावधि में प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया है, जिसकी जानकारी पूर्व में अपीलान्टगण को होने की प्रथम दृष्टया कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने से न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि बंटवारे में सिर्फ वादिया चन्दा की जमीन अलग की गयी है, शेष सहख[illegible] के हिस्से शामलाती रखे गये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested

हैं, जो विधि सम्मत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में मनमकसूद तरीके से बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा विभाजन नियमों के तहत बंटवारा किये जाने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

उक्त बहस का खण्डन करते हुए अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि तामील में बावजूद अपीलान्टगण के अनुपस्थित रहने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये हैं तथा विभाजन नियमानुसार किया गया है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है तथा अपीलान्टगण की अनुपस्थिति में तैयार किया गया है एवं बंटवारा प्रस्ताव में मात्र वादीया/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की भूमि को ही अलग रखा गया है, शेष सहखातेदारों का हिस्सा शामलाती रखा गया है। ऐसी स्थिति में उक्त बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 13–07–2023 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति स्वयं तहसीलदार, मावली विभाजन नियम 18 से 21 की पालना में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय यदि उक्त फर्द बंटवारे पर किसी पक्षकार को आपत्ति हो तो उसका निराकरण करते हुए पुनः नये सिरे अंतिम डिक्री जारी करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21–03–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 24–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.07 16:21:53 IST
Reason: SelfAttested